

एडवांस एडिटिड संस्करण

वितरण: सामान्य

6 जुलाई, 2018

Original: English

मानवाधिकार परिषद

39वां सत्र

10-28 सितंबर 2018

एजेंडा आइटम 3

विकास के अधिकार सहित सभी मानवाधिकारों, नागरिक,
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक
अधिकारों का प्रचार और संरक्षण

**भारत के अपने मिशन पर सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के मानवाधिकारों पर
विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट**

सचिवालय द्वारा टिप्पणी

27 अक्टूबर से 10 नवंबर 2017 तक, लिओ हेल्डर द्वारा भारत की आधिकारिक यात्रा की गई तथा सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के मानवाधिकारों पर विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट को सचिवालय द्वारा मानवाधिकार परिषद को प्रेषित करने पर सम्मान महसूस करते हैं।

भारत के अपने मिशन पर सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के मानवाधिकारों पर विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट *

विषय-वस्तु

	पेज
I. परिचय	3
II. कानूनी एवं नीतिगत संरचना.....	3
A. कानूनी संरचना.....	3
B. संस्थागत एवं नीतिगत संरचना.....	5
III. पेयजल एवं स्वच्छता के मानव अधिकार.....	6
A. उपलब्धता	6
B. पहुंच	9
C. वहनीयता	10
D. गुणवत्ता एवं सुरक्षा.....	11
E. स्वीकार्यता	12
F. स्थिरता	13
IV. कोई पीछे न रह जाए	14
A. अनुसूचित जातियां	15
B. दिव्यांग व्यक्ति	16
C. निवास स्थान.....	16
D. गैर-दस्तावेजीकृत जनसंख्या	17
V. सिफारिशें	18

* केवल प्रस्तुतिकरण की भाषा में प्रसारित।

I. परिचय

1. मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव 33/10 का अनुसरण करते हुए, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के मानवाधिकारों पर विशेष प्रतिवेदक, लिओ हेलेर ने सरकार के निमंत्रण पर 27 अक्टूबर से 10 नवंबर 2017 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की।
2. दो सप्ताह की अपनी यात्रा के दौरान, विशेष प्रतिवेदक ने स्थिति के बारे में व्यापक जानकारी लेने के लिए संबंधित सरकारी प्राधिकरणों तथा जितना संभव हो सके उतने हितधारकों से आपसी विचार-विमर्श करते हुए, देश के विभिन्न भागों की यात्रा की। जिसमें उन्हें संघ, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकार और सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ।¹ उन्होंने नई दिल्ली; लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य; मुंबई, महाराष्ट्र राज्य; कोलकाता, पश्चिम बंगाल राज्य; और इम्फाल, मणिपुर राज्य का दौरा किया। इन स्थानों पर, विशेष प्रतिवेदक को उन लोगों की बात सुनने तथा उनका इंटरव्यू लेने का अवसर मिला, जिनके जल और स्वच्छता(सैनिटेशन) के अधिकारों के लाभों पर प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर कई सिविल सोसायटी परामर्श सभाएं आयोजित की, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों और व्यक्तियों के साथ चर्चा में भाग लिया।
3. देश की यात्रा के लिए उपयोग की जाने वाली कार्य-प्रणाली, *मानवाधिकार परिषद के विशेष प्रक्रिया अधिदेश-धारकों के लिए आचरण संहिता पर तथा विशेष प्रक्रिया अधिदेश-धारकों के द्वारा देश की यात्रा के लिए संदर्भ की शर्तों* पर आधारित थी। भारत में पेयजल और स्वच्छता के मानवाधिकारों की प्रस्तुति का विश्लेषण एक अत्यधिक जटिल मूल्यांकन की मांग करता है, जोकि राष्ट्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पेयजल और स्वच्छता की सेवाओं तक पहुंच बनाने में आने वाली कमियों तथा देश भर में फैली हुई एक विस्तृत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जनसांख्यिकीय, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताओं, दोनों में ही पाए जाने वाले निरंतर परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए उनका पता लगाकर की जा सकती हैं। विशेष संवाददाता को अपनी इस यात्रा के दौरान केंद्रीय सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों अथवा सिविल सोसायटी संगठनों से बातचीत करते हुए अक्सर जल और स्वच्छता सेवाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में इन सभी के अलग-अलग मतों का सामना करना पड़ा। इसलिए, अपने मूल्यांकन हेतु उन्होंने विभिन्न स्रोतों द्वारा प्रदान किए गए सर्वोत्तम प्रमाण के लिए मानवाधिकार को प्रत्यक्ष रूप से लागू करने वाले सबसे संतुलित दृष्टिकोण को अपनाने का लक्ष्य निश्चित किया।
4. विशेष प्रतिवेदक अपनी यात्रा के पहले, उसके दौरान और उसके पश्चात, सरकार द्वारा की गई वचनबद्धताओं की सराहना व्यक्त करते हैं। वह उन सभी लोगों को अपना धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उनसे मिलने के लिए समय निकाला और जिन्होंने उदारता से अपने व्यक्तिगत अनुभव और साक्ष्य को साझा किया तथा अपनी जिंदगी के हालातों का वर्णन किया। विशेष प्रतिवेदक, यात्रा में सुविधाएं प्रदान करने हेतु भारत में स्थित संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कॉर्डिनेटर के कार्यालय का भी धन्यवाद करते हैं।

II. कानूनी एवं नीतिगत संरचना

A. कानूनी संरचना

5. पेयजल और स्वच्छता के मानवाधिकारों तथा राज्य के मानवाधिकार दायित्वों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, जिसे 1979

¹ विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, दिल्ली जल बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मणिपुर सरकार, ग्रेटर मुंबई नगर निगम, इम्फाल नगर निगम।

में भारत तथा कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों द्वारा अनुमोदित किया गया था।² जल और स्वच्छता के मानव अधिकार, जीने के पर्याप्त मानक अधिकार के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 25 और अनुबंध के अनुच्छेद 11 के तहत संरक्षित हैं। इसके अलावा जनरल असेंबली और मानवाधिकार परिषद को स्पष्ट रूप से इन रिसोल्यूशन में मान्यता प्राप्त है कि जल और स्वच्छता के अधिकार दो अलग रूप हैं, लेकिन मानव अधिकारों से संबंधित हैं। इन रिसोल्यूशन के लिए भारत का सहयोग राज्य की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है और जल एवं स्वच्छता के मानव अधिकारों को मान्यता दिलाता है।³

6. भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत निर्धारित किया गया है, जिसे संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय कानून (संविधान के अनुच्छेद 253) के माध्यम से एक पार्टी लागू करती है। दूसरे शब्दों में, जब तक विधायिका द्वारा राष्ट्रीय कानून शामिल नहीं किया जाता, अंतर्राष्ट्रीय संधियां जिनकी भारत ने पुष्टि की है, स्वचालित रूप से राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली का हिस्सा नहीं बनती। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध के अनुच्छेद 2(1) के अनुसार उनके अनुबंध दायित्वों के कार्यावयन में विशेष रूप से विधायी उपायों को अपनाने सहित, राज्यों के दलों को सभी उचित साधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। हालांकि, भारत ने मानव अधिकारों के रूप में जल और स्वच्छता को पहचानने वाला राष्ट्रीय कानून अभी तक तैयार नहीं किया है।

7. भारत में न्यायपालिका ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के आधार पर घरेलू कानून की व्याख्या करने के अभ्यास को विकसित करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। जबकि संविधान में जल और स्वच्छता के मानवाधिकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसके अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार पर, अदालतों द्वारा जल और स्वच्छता के अधिकार को शामिल करने की उत्तरोत्तर व्याख्या की गई है। 1990 के दशक के शुरू में, न्यायपालिका ने औपचारिक रूप से पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। पर्यावरण प्रदूषण और हाल ही में, पानी की आपूर्ति जो अपर्याप्त या कम है, से संबंधित कानून के अंतर्गत, अदालतों द्वारा स्थापित कानून में इस मूल अधिकार की कानूनी नींव रखी गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या के अंतर्गत स्वच्छता के मुद्दों का भी उल्लेख किया है।⁴

8. जबकि भारत में कानूनी न्यायशास्त्र के माध्यम से जल और स्वच्छता को मानव अधिकारों का पर्याप्त समर्थन दिया गया है, इसके अलावा बाध्यकारी कानून या विनियमन और कानूनी प्रवर्तन तंत्र के रूप में समर्थन दिया गया है, जो कुछ राज्यों में भूजल पर विद्यमान कानून का पूरक होंगे। एक राष्ट्रीय कानून लागू करने की बजाय राज्यों के लिए मार्गदर्शन के रूप में अपने स्वयं के कानून अपनाने और अधिनियमित करने के लिए मॉडल बिलों और फ्रेमवर्क कानून का प्रयोग किया गया है। विशेष प्रतिवेदक ने चिंता जताई कि सामंजस्यपूर्ण कानून की कमी से राज्य द्वारा जल और स्वच्छता पर अलग-अलग कानून से गड़बड़ हुई है, क्योंकि कुछ राज्यों ने मॉडल बिलों को कानून के रूप में अपनाया है। उन्होंने जोर दिया कि राष्ट्रीय जल फ्रेमवर्क बिल (2016) के मसौदे, उनके दायरे और सामग्री को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर कमेटी, जनरल असेंबली और मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रदान की गई आधिकारिक व्याख्या के साथ जल और स्वच्छता के मानवाधिकारों को मान्यता मिलनी चाहिए।⁵

² 1993 में भारत द्वारा अनुमोदित, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर हुए सम्मेलन के अनुच्छेद 14(2) देखें; 1992 में भारत द्वारा मान्यता प्राप्त बाल अधिकारों पर हुए सम्मेलन के अनुच्छेद 24 और 27(3) को देखें; तथा 2007 में भारत द्वारा अनुमोदित दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर हुए सम्मेलन के अनुच्छेद 28 को देखें।

³ 2010 में, भारत ने पेयजल और स्वच्छता के मानवाधिकार पर जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 64/292 के पक्ष में मतदान किया। इसने, 2015 में असेंबली रिजोल्यूशन 70/169 तथा 2015 में मानवाधिकार परिषद रिजोल्यूशन 33/10 को अभिग्रहण करने का भी समर्थन किया, जिसमें पहली बार, पेयजल और स्वच्छता को दो पृथक मानवाधिकारों के रूप में संबोधित किया गया था।

⁴ गौर एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, 24 नवंबर 1994 का निर्णय।

⁵ पेयजल के अधिकार पर समिति की सामान्य टिप्पणी संख्या 15 (2002) को देखें, जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 70/169 और मानवाधिकार परिषद रिजोल्यूशन 33/10, स्पष्ट रूप से स्वच्छता के अधिकार को मान्यता प्रदान करते हैं।

9. विशेष प्रतिवेदक, दोनों अधिकारों के दायरे एवं सामग्री के विधान में स्पष्ट शर्त और इन अधिकारों की स्पष्ट विधायी मान्यता के महत्व को रेखांकित करना चाहता है। एक संघीय प्रणाली में, जैसे कि भारत में एक राष्ट्रीय कानून का होना, पूरे देश में मानव अधिकारों के मानकों के अनुरूप और सुसंगत कार्यावयन के लिए महत्वपूर्ण है। यह जल और स्वच्छता के मानव अधिकारों की तर्कसंगतता अर्थात् वे व्यक्ति और समूह, जिन पर उन अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, वे एक न्यायिक निकाय से, कानूनी सहायता के लिए अनुरोध करने और उन्हें लागू करवाने की शिकायत दर्ज करवाने में सक्षम होंगे। इस संबंध में, प्रतिवेदक ने सरकार से आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध को वैकल्पिक प्रोटोकॉल की पुष्टि करने की सिफारिश की है।

B. संस्थागत और नीतिगत संरचना

10. भारत में संघीय व्यवस्था है। केंद्रीय और राज्य सरकारों की शक्तियां संवैधानिक रूप से निर्धारित होती हैं और इसे तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: संघ, जिसमें केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारियों को शामिल किया गया है; राज्य; और समवर्ती; जो सरकार के दोनों स्तरों के बीच साझा उत्तरदायित्व का वर्णन करती हैं (A/HRC/34/51/Add.1, पैरा 9 देखें)। संविधान ने शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं की व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों के कस्बों और गांवों में पंचायती राज (विकेन्द्रीकृत उत्तरदायित्वों वाले निर्वाचित पदाधिकारियों की स्थानीय सभा) की व्यवस्था आरंभ की। जल और स्वच्छता राज्य के आधीन हैं, जिसके लिए विभिन्न राज्यों ने विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाएं स्थापित की हैं, जिसके परिणामस्वरूप सेवा उपबंध के लिए विविध उत्तरदायित्व वाली संरचनाएं हैं। उदाहरण के लिए, मणिपुर राज्य के इम्फाल में, इम्फाल में शहर और ग्रामीण इलाकों के शहरी क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। जबकि महाराष्ट्र में, ग्रेटर मुंबई नगर निगम, मुंबई के शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, जो राज्य में स्थानीय सरकारों के दायरे के अंदर हैं, के लिए जिम्मेदार है। आमतौर पर, पंचायतें और स्थानीय निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते हैं। जल और स्वच्छता नीतियों और राष्ट्रीय बजट आबंटन के कार्यान्वयन और निगरानी के संबंध में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए पृथक बजट प्रक्रियाओं के साथ, केंद्र सरकार की संस्थाओं के बीच उत्तरदायित्व, जिस प्रणाली द्वारा साझा किया जाता है, वह काफी जटिल है।

11. राज्य के हिस्से के रूप में, स्थानीय सरकारें स्वयं - पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाएं - दोनों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून से बंधी हैं। इस प्रकार, मानव अधिकारों की कानूनी स्पष्टता, सामंजस्य और देशव्यापी अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार मानदंडों के न्यूनतम मानक स्थापित किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों का दायित्व है कि वे जल और स्वच्छता के लिए मानव अधिकारों के गैर-अनुपालन और सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों सेवा उपबंध (A/HRC/36/45, पैरा 69-77 देखें) को विनियमित करें।

12. नीतिगत स्तर पर सरकार पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लागू करने की प्रक्रिया में है। ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने में राज्यों की सहायता करने के लिए अप्रैल 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू किया गया था। राष्ट्रीय जल नीति का उद्देश्य मौजूदा स्थिति का संज्ञान लेना है, ताकि कानूनों और संस्थाओं की प्रणाली के निर्माण के लिए और एकीकृत राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ कार्रवाई की योजना के लिए एक रूपरेखा का प्रस्ताव बने। इस कार्यक्रम में पिछले कार्यक्रम के परिवर्तनों को शामिल किया गया है, जो ग्राम स्तर पर समुदाय द्वारा योजनाबद्ध और प्रबंधित की जाने वाली जल आपूर्ति प्रणालियों पर बल देता है और इसका उद्देश्य, घरेलू स्तर पर सिस्टम और जल सुरक्षा, टिकाऊ, पेयजल सुविधाजनक आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

13. सरकार एवं सिविल सोसाइटी के साथ प्रतिवेदक की बातचीत के दौरान सबसे अधिक बार चर्चा का विषय स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित था। अपने मिशन के अंत में प्रेस वक्तव्य में, प्रतिवेदक ने कार्यक्रम को बहुत ही कम समय अवधि में स्वच्छता से संबंधित उसकी चुनौतियों का

सामना वाले देश के एक अनूठे प्रयास के रूप में संदर्भित किया और भारतीय जनता के स्वच्छता के मानव अधिकार के प्रगतिशील बोध की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में संदर्भित किया।⁶ प्रतिवेदक गर्मजोशी से इस प्रासंगिक पहल के कार्यान्वयन के लिए सरकार की सराहना की, शेष रूप से वह उनकी निजी सहभागिता के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करते हैं। यात्रा के दौरान, खुले में शौच को खत्म करने, सार्वभौमिक स्वच्छता को प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए कवरेज और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रतिवेदक केंद्र सरकार से लेकर प्रशासन और सबसे बुनियादी इकाई आम जनता तक की राष्ट्रव्यापी गति से प्रभावित हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य देश भर में लाखों शौचालयों की सामूहिक स्थापना के माध्यम से अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच समाप्त करना है जिसे एक प्रभावशाली बजट के आबंटन का समर्थन प्राप्त है।

14. स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू किए गए नए प्रतिमान में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए काफी प्रोत्साहन प्रदान किया गया है, जिसमें शौचालय विशेष रूप से हैं, आमतौर पर दो किस्तों में, जिनमें विभिन्न साधनों के माध्यम से 12,000 भारतीय रुपए (लगभग \$\$185) लाभार्थियों को वितरित किए गए। नवंबर 2017 में यात्रा के समय, स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट (www.swachhsangraha.gov.in) पर स्ट्राइकिंग संख्या ने संकेत दिया कि अकेले ग्रामीण क्षेत्रों में 15 मिलियन शौचालय पिछले तीन वर्षों और एक महीने में बनाए गए थे। मई 2018 तक, शहरी क्षेत्रों में अन्य 4.9 मिलियन घरेलू शौचालय और 300,000 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया था। प्रतिवेदक को उत्तर प्रदेश के कुछ ग्रामीण समुदायों को खुले में शौच मुक्त के रूप में प्रमाणित करने का अवसर मिला और वह उनकी स्वच्छता स्थितियों में महत्वपूर्ण सुधार को देखने और सुनने में सक्षम था।

15. यह कार्यक्रम वर्तमान में 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चल रहा है। यह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा समन्वित है, जो स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण घटकों के लिए उत्तरदायी है; शहरी घटक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दायरे में है। अनेक अवसरों पर, ग्रामीण और शहरी भारत के बीच किए गए भेद को लेकर, दोनों मंत्रालयों और देश के राजनीतिक-प्रशासनिक संगठन के बीच प्रशासनिक प्रभाग की जिम्मेदारी के दृष्टिकोण से प्रतिवेदक पर जोर डाला गया।

16. उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत ऊपर उल्लिखित प्रगति के बावजूद, प्रतिवेदक स्वच्छ भारत मिशन के निर्माण और जिस तरह से कार्यक्रम लागू किया गया है, के बीच के संभावित अंतराल के बारे में विशेष चिंता व्यक्त करता है, जिससे मौलिक मानवाधिकार के कुछ तत्वों पर असर पड़ सकता था। स्वच्छ भारत मिशन एक भारी लक्ष्य है - और प्रदर्शन-उन्मुख- एक समय सीमा के साथ, जो अपने अनुमानित परिणामों के पैमाने पर बहुत ही कम समय सीमा फ्रेम के साथ दिया गया है। कार्यावयन में सभी स्तरों (गांवों, जिलों और राज्यों) पर गहन प्रतिस्पर्धा शामिल है। हालांकि, "खुले में शौच मुक्त" के शीर्षक के साथ पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा, एक अनपेक्षित परिणाम के रूप में कुछ आक्रामक और अपमानजनक प्रथाएं उठी हुई प्रतीत होती हैं। प्रतिवेदक ने अनेक मामलों में सुना है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने और इससे संबंधित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए लोगों को मजबूर किया गया कि वे एक ओर शौचालयों का जल्दी निर्माण करवाएं और दूसरी ओर खुले में शौच बंद करें। उदाहरण के लिए, जब व्यक्तियों की खुले में शौच के अभ्यस्तों के तौर पर पहचान की गई, तो उनसे उनके राशन कार्ड वापस ले लिए गए, जो सीधे उनके भोजन के अधिकार को प्रभावित करता है। जब अधिकारियों की सहन क्षमता से बाहर होगा, तब ओवरड्यू बिजली के बिल वाले परिवार की सेवाओं को रोका जा सकता है। अन्य मामलों में, खुले में शौच करने वाला व्यक्ति शर्मिंदा, उत्पीड़ित, उन पर हमला या वे दंडित किया जा रहे हैं। ऐसे मामलों के जवाब में, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन से जुड़े दुरुपयोग को पहचाना और सभी राज्यों को कम से कम दो परामर्श जारी किए, कि इस तरह के कार्यों को रोका जाना चाहिए। प्रतिवेदक के दृष्टि में, इन अस्वीकार्य प्रथाओं की सतत निगरानी की आवश्यकता है और सरकार के सभी स्तरों को सभी

⁶ www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22375 को देखें।

व्यक्तियों की गरिमा को बनाए रखने और अन्य मौलिक अधिकारों के उल्लंघन ना होने देने के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

III. सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता का मानवाधिकार

A. उपलब्धता

17. अब जबकि भारत ने सुरक्षित पेयजल की स्थाई पहुंच पर मिलेनियम विकास लक्ष्यों के लक्ष्य को हासिल कर लिया है, प्रतिवेदक ने उस तरीके पर प्रकाश डाला, जिस तरह से भारतीय लोग वर्तमान में जल सेवाओं तक पहुंचते हैं जो सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 6.1 अर्थात् "सुरक्षित रूप से प्रबंधित सेवाओं" के मानक के लिए स्थापित आवश्यकताओं को पूरा करने से बहुत कम है। इस मानक के तहत, जरूरत होने पर पानी उपलब्ध, संदूषण से मुक्त और परिसर में सुलभ होना चाहिए। उपलब्धता के मानकों को पूरा करने के लिए, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बुजुर्गों सहित बच्चों और वयस्कों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सतत आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए। "सुरक्षित रूप से प्रबंधित सेवाओं" का एक ही मानक लक्ष्य 6.2 के अंतर्गत लागू किया जाना है, जिसका अर्थ है कि लोगों को अन्य घरों के साथ साझा नहीं की गई बेहतर स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। इस मानक को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत घरेलू सुविधाएं उन लोगों को प्रदान की जानी चाहिए, जो वर्तमान में सामुदायिक शौचालयों पर निर्भर हैं। इसमें सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और कारावास केंद्रों में स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान पर भी जोर डाला गया।

18. दिनांक 10 नवंबर 2017 की एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने भारत में जल और स्वच्छता की उपलब्धता की अपनी समझ को रेखांकित करते हुए आंकड़े प्रस्तुत किए: "25 करोड़ (250 मिलियन) से अधिक लोगों को तीन साल में जल एवं स्वच्छता सुविधाएं मिल गई हैं।" 2.7 लाख [270,000] से अधिक गांव, 227 जिले और 6...राज्य खुले में शौच (ओडीएफ) से मुक्त हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के 77 प्रतिशत की कम से कम 40 लीटर प्रति व्यक्ति (एलपीसीडी) प्रतिदिन पानी की आपूर्ति तक पहुंच है। शहरी इलाकों में 90 फीसदी से ज्यादा लोगों के पास सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है।⁷ सरकार ने प्रतिवेदक को सूचित किया, कि मई 2018 के दौरान स्वच्छता सुविधाओं की संख्या में 35 करोड़ (350 मिलियन) की वृद्धि हुई थी और 3.6 लाख (360,000) से अधिक गांव, 385 जिले, 13 राज्य और 4 संघ राज्यक्षेत्र खुले में शौच मुक्त थे।

19. पानी की उपलब्धता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए पानी की आपूर्ति, पीने के प्रयोजन, व्यक्तिगत स्वच्छता, कपड़े धोने, भोजन की तैयारी और व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता के लिए पर्याप्त और सतत होनी चाहिए। इस संदर्भ में "प्रत्येक व्यक्ति" ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या का 77 प्रतिशत या शहरी क्षेत्र का 92 प्रतिशत को संदर्भित करता है, जिनकी पानी तक पहुंच है, बल्कि उनको भी संदर्भित करता है जिनको यह उपलब्ध नहीं है (नीचे सेक्शन IV देखें)। यह सर्वविदित है कि प्रति व्यक्ति खपत की एक प्रामाणिक परिभाषा, आपूर्ति की वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करती, जो पानी के स्रोत की प्रकृति और मौसम भर में अपनी विविधताओं, वितरण प्रणाली और एक पाइप सिस्टम में घर की स्थिति के आधार पर बदलती है। इस प्रकार, प्रति व्यक्ति, प्रति दिन 40 लीटर की निर्धारित न्यूनतम खपत निश्चित रूप से व्यवहार में समान रूप से घटित नहीं होती; जैसे उपभोग की मजबूती और व्यापक रूप से निगरानी की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत की संपूर्ण जनसंख्या मानव अधिकार मानक के अनुसार पानी प्राप्त करे।

20. शौचालय की उपलब्धता के संबंध में भीड़भाड़ और प्रतीक्षा समय से बचने के लिए पर्याप्त संख्या में सुविधाएं होनी चाहिए और शौचालयों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। जब शाम को कुछ घंटों के बाद सार्वजनिक शौचालय बंद हो जाते हैं, तो लोग रात में खुले में शौच

⁷ भारत सरकार, प्रेस विज्ञप्ति (10 नवंबर, 2017)।

<http://pibmumbai.gov.in/scripts/detail.asp?releaseId=E2017PR2060> पर उपलब्ध।

को मजबूर हो जाते हैं, जिसका खास तौर पर महिलाओं और लड़कियों पर असर पड़ता है। जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए डब्ल्यूएचओ/ यूनिसेफ संयुक्त निगरानी कार्यक्रम के अनुसार 2015 में भारत में लगभग 524 मिलियन लोगों (जनसंख्या का 40 प्रतिशत) को खुले में शौच करना पड़ा। 2015 में, मध्य और दक्षिण एशिया में, भारत में 90 प्रतिशत से अधिक लोग गिने गए और दुनिया में 852 मिलियन लोगों का 59 प्रतिशत खुले में शौच करता था हालांकि सरकार की स्थिति यह है कि संयुक्त निगरानी कार्यक्रम के "पूर्ववर्ती वर्षों में उपलब्ध स्वच्छता आंकड़ों पर आधारित एक प्रवृत्ति लाइन से गलत तरीके से पाखाना करने वाले लोगों की संख्या को गलत तरीके से पेश किया गया" और यह कि खुले में शौच कर रहे लोगों की संख्या को 200 मिलियन कम किया गया था।⁸ मई 2018 तक, 360,832 गांव, 159,567 ग्राम पंचायतें, 3,494 ब्लॉक, 384 जिले और 17 राज्यों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। कुल 4,041 शहरों में से 2,711 खुले शौच मुक्त घोषित किए गए थे।⁹

21. जबकि सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट किए गए आंकड़े प्रभावशाली हैं और उपलब्धियां बेहद सराहनीय हैं, प्रतिवेदक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देने की इच्छा है कि यह उपलब्धता व्यक्तियों द्वारा वास्तविक उपयोग के रूप में अग्रणी हों। इसके अलावा, शौचालयों की संख्या और प्रशासनिक इकाइयां जो खुले में शौच मुक्त हैं, की संख्याएं गिनने के कठोर उपायों पर केंद्रित प्रयासों को, उन जनसंख्या पर नजर रखने के प्रयासों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जहां स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। प्रतिवेदक इस बात पर बल देता है कि स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं का आकलन प्रासंगिक होना चाहिए और विशेष समूहों की विशेषताओं पर विचार करना चाहिए, जिनमें स्वच्छता की जरूरतें अलग-अलग हो सकती हैं। विशेष रूप से, स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच सभी के लिए बिना भेदभाव की गारंटी के साथ होनी चाहिए।

22. किसी गांव को खुले में शौच से मुक्त के रूप में प्रमाणित करना, सकारात्मक प्रोत्साहन नीति हो सकती है। लेकिन प्रक्रिया को विकसित और लागू करने के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्वच्छता के अधिकार की प्राप्ति पर ध्यान देने मात्र से मतगणना की कवायद शिफ्ट नहीं होती है। जिम्मेदार मंत्रालयों के अनुसार, "खुले में शौच मुक्त" के रूप में एक क्षेत्र को प्रमाणित करने के लिए प्रोटोकॉल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक समान नहीं है। प्रतिवेदक ने जाना कि खुले में शौच मुक्त के रूप में प्रमाणित कुछ क्षेत्र अक्सर वास्तविक तौर पर खुले में शौच मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। खुले में शौच मुक्त के रूप में प्रमाणित एक गांव में, जहां प्रतिवेदक ने दौरा किया कुछ बुजुर्ग लोगों ने व्यक्तिगत पसंद और कारणों का हवाला देते हुए बताया कि उन्होंने खुले में शौच जारी रखा है। मुंबई में, स्थानीय प्राधिकरण ने खुले में शौच के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 118 जोनों की पहचान की और उन क्षेत्रों के 500 मीटर के भीतर सामूहिक शौचालयों का निर्माण किया। उन क्षेत्रों में रहने वाले कुछ निवासियों ने अभी भी आदतन सांस्कृतिक और व्यावहारिक कारणों से खुले में शौच का चयन किया है। मानव अधिकारों के नजरिए से एक क्षेत्र को खुले शौच से मुक्त करना मानदंडों की जांच से अपेक्षाकृत अधिक है; खुले में शौच मुक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्वच्छता के लिए मानव अधिकार प्रगतिशील बोध के साथ क्रमिक उपलब्धि पर जोर देता है।

23. सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के मानवाधिकारों को साकार करने के अपने दायित्व के साथ सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थलों में जल और स्वच्छता तक पहुंच की गारंटी दी जानी चाहिए। यात्रा के दौरान, प्रतिवेदक ने कई रिपोर्टें प्राप्त की और कई मामलों में देखा कि स्कूलों, परिवहन केंद्रों और पुलिस स्टेशनों सहित सार्वजनिक स्थानों पर जल और स्वच्छता के लिए पर्याप्त और उचित सुविधाओं का अभाव है। गैस स्टेशनों को उनके शौचालय जनता के लिए सुलभ बनाने पर बड़ा जोर दिया गया है, लेकिन अक्सर उन सुविधाओं को बंद या अनुपयोगी पाया जाता है। उपलब्ध सामुदायिक शौचालयों की संख्या प्रायः छोटी होती है, उन परिवारों की संख्या के संबंध में, जहां उन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। यह अनिवार्य रूप से बड़ी आबादी को प्रभावित करता है, और जो "दैनिक रूप से

⁸ 15 जून, 2018 को भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई।

⁹ Ibid.

गति करते हैं" जिनमें बेघर व्यक्ति, सड़क विक्रेता, रिक्शा चालक और मौसमी प्रवासी श्रमिक शामिल हैं। सड़क विक्रेता विशेष रूप से पास के भवनों में स्थित स्वच्छता सुविधाओं पर निर्भर हैं और अक्सर उन सुविधाओं तक पहुंच के बदले में वे भवन के गार्ड को पैसा देने को मजबूर होते हैं। इसके अलावा, प्रतिवेदक द्वारा आयोजित इंटरव्यू के अनुसार सार्वजनिक शौचालय आमतौर पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं होते हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अपर्याप्त हैं और उनमें हाथ धोने और माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुविधाओं की कमी है।

24. स्कूलों में जल और स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करने पर नीतिगत पहल लागू की गई है, लेकिन उनके लक्ष्य स्पष्ट रूप से अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं। उदाहरण के लिए, 2015 में, मानव संसाधन के लिए जिम्मेदार मंत्रालय ने घोषणा की कि स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय होने चाहिए। हर सरकारी स्कूल में अलग शौचालय बनवाए जाने की सरकार की रिपोर्ट में अगस्त 2014 और अगस्त 2015 के बीच लड़कों के लिए 226,000 शौचालय और लड़कियों के लिए 191,000 शौचालयों का निर्माण किया गया (A/HRC/WG.6/27/IND/1, पैरा 98 देखें)। 2016 में अभी तक, सिर्फ 62 प्रतिशत स्कूलों में ही लड़कियों के शौचालय थे, जो उपलब्ध थे और चालू हालत में थे।¹⁰ प्रतिवेदक ने लखनऊ के पास सरथरा गांव में एक स्कूल में दौरा किया, जहां छात्रों के लिए कोई कार्यरत शौचालय उपलब्ध नहीं थे; दो मूत्रालय और एक टायलेट के साथ एक छोटे शौचालय सुविधा का निर्माण किया जा रहा था। प्रतिवेदक ने देखा कि लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए शौचालयों का डिजाइन एक ही था और उसमें लड़कियों की खास जरूरत को ध्यान में नहीं रखा गया था।

25. मानव मलमूत्र के संग्रह और निपटान के लिए उपयुक्त सुविधाओं की उपलब्धता की कमी के संबंध में हाथ से कार्य करने वाले मेहतरों के खिलाफ भेदभाव - जो स्वयं हाथों से लैटरीन और सीवर की सफाई करते हैं, मानव मलमूत्र को उठाते हैं, लेकर जाते हैं, या उसे निपटाते हैं - यह एक चिंता का विषय है। यात्रा के दौरान, कई लोगों ने प्रतिवेदक को बताया कि हाथों से सफाई भारत में सामाजिक जाति से जुड़ा एक व्यवसाय था। मैनुअल मेहतर और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के रूप में रोजगार निषेध के तहत मैनुअल सफाई पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, सरकार ने मैनुअल मेहतरों की पहचान करने और उनका पुनर्वास करने और उन्हें विभिन्न व्यवसायों में निर्देशित करने के प्रयास किए हैं। हालांकि, सिविल सोसायटी के साथ बातचीत के दौरान मैनुअल मेहतरों की संख्या की पहचान करने वाले कई सर्वेक्षण प्रतिवेदक को प्रस्तुत किए गए। ज्यादातर मैनुअल सफाई की परिभाषा में मतभेद के कारण, सरकार द्वारा पहचानी गई संख्या में विसंगतियां हैं और सिविल सोसायटी द्वारा सर्वेक्षण में इसका संकेत दिया गया है। मानवाधिकार के नजरिए से, चाहे मैनुअल सफाई सुरक्षात्मक सामानों के साथ हो या उसके बिना हो - अधिनियम में शामिल परिभाषा में किया गया एक भेद - प्रासंगिक नहीं है यह पता लगाने के लिए कि मैनुअल सफाई जाति आधारित भेदभाव को दर्शाती है या नहीं। वास्तविकता, जो कि प्रतिवेदक को बताई गई है कि लोग मैनुअल मेहतरों के रूप में काम करते हैं, क्योंकि उनके लिए केवल यही विकल्प खुला है।

26. यात्रा के दौरान प्रतिवेदक ने कई लोगों से मुलाकात की, जिन्होंने संकेत दिया कि वे स्वयं, उनके रिश्तेदारों या उनके पड़ोसियों ने मैनुअल सफाई में कार्यरत होना जारी रखा है। वह उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई ऐसे व्यक्तियों के साथ मिले, जो वर्तमान में मैनुअल सफाई में लगे हुए हैं। दिल्ली और लखनऊ में बैठकों के दौरान प्रतिवेदक ने कई लोगों से सुना, कि उनके अनेक रिश्तेदार शौचालयों को साफ करने या सीवर लाइनों की सफाई के कठिन काम को करते हुए मर गए; उन्हें राज्य से पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला था और उन्हें मुआवजे के लिए केस दाखिल करने में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।

27. स्वच्छता के अधिकार और खुले में शौच के अंत की प्राप्ति की ओर कदम उठाने के प्रयास से अनायास व्यवहार में भेदभाव बढ़ सकता है। खासतौर पर, शौचालयों की संख्या में वृद्धि से चिंताएं

¹⁰ http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER%202016/aser2016_nationalpressrelease.pdf को देखें।

इस कदर बढ़ सकती हैं कि निचली जातियों पर स्वच्छता कार्य थोप कर पीढ़ियों पुरानी प्रथा भेदभावपूर्ण ढंग से फैशन के तौर पर जारी रहेगी।

28. यह संदेहास्पद है कि क्या स्वच्छ भारत मिशन के प्रयास - ट्विन-पिट लैटरिन - में मलमूत्र निपटान के लिए मानक प्रौद्योगिकी की सुविधाओं का ठीक से उपयोग करने में लागू किया जाएगा और क्या भेदभावपूर्ण प्रथा के तौर पर की जाने वाली मैनुअल सफाई को समाप्त किया जाएगा। ट्विन-पिट-लैटरिन के उपयोग में पहले गड्डे को कचरे से भर दिया जाता है, गड्डे को बंद किया जाता है, पहले गड्डे को कम से एक साल तक छुआ नहीं जाता और उस अवधि के बाद कचरे को सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है। हजारों-लाखों लोगों को ज्ञान का मोल सिखाने और आत्मसात करने के लिए कि तकनीक कैसे कार्य करती है, वर्तमान संचार को व्यापक और लगातार कई वर्षों तक प्रयास करने होंगे। यहां तक कि अगर ट्विन-पिट-लैटरिन ठीक से संचालित हो रहे हैं, तो भी अनुसूचित जातियों द्वारा मैनुअल सफाई प्रथाओं के पुनरुत्पादन में बाधा डालने के लिए सेफगार्ड की आवश्यकता होगी। इसी समय, सरकार को निगरानी करनी चाहिए कि कैसे अन्य तकनीकों को संचालित किया गया है, चूंकि कुछ अध्ययन दर्शाते हैं कि सिंगल-पिट-लैटरिन का कई राज्यों में निर्माण किया गया है, उनकी संख्या नगण्य नहीं है, ये मैनुअल मेहतरों के लिए और भी अधिक असुरक्षित काम का प्रतिनिधित्व करती हैं।¹¹

B. पहुंच

29. पानी तक शारीरिक पहुंच से तात्पर्य है, कि पर्याप्त, सुरक्षित और स्वीकार्य पानी हर किसी की शारीरिक पहुंच के भीतर होना चाहिए, जो कि प्रत्येक घर, शैक्षिक संस्थान और कार्यस्थल के बिलकुल आसपास के क्षेत्र में हो। जहां पानी की आपूर्ति परिसर में उपलब्ध नहीं है, वहां आबादी जिसमें प्रायः महिलाएं और बच्चे शामिल होते हैं - अपना कीमती समय सतह के पानी को खींचने, बोरहोल्स, ट्यूबवेल्स या कुछ मामलों में, सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट और पानी के टैंकों से पानी लाने में खर्च करते हैं।

30. सरकार के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम द्वारा "घर के परिसर के भीतर पानी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए या पानी उनके घर से 100 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए।"¹² फिर भी, कई लोगों ने प्रतिवेदक के सामने दोहराया, कि पानी इकट्ठा करने से जुड़ी अवसर लागत अधिक है, यह आमतौर पर बच्चों के स्कूल जाने के उपलब्ध समय को प्रभावित करती है और महिलाओं के संबंध में उनके बराबरी के अधिकार से जुड़ी है। महिलाओं ने इस बोझ के परिणामस्वरूप होने वाली हिंसा से अवगत कराया है। मणिपुर राज्य के पहाड़ी जिलों में महिलाओं के साथ पानी लाते समय यौन हिंसा होने की खबरें मिली हैं।

31. 2015 में, यह बताया गया कि 92 फीसदी आबादी के पास पानी के अच्छे स्रोतों तक पहुंच थी। जब हम टिकाऊ विकास लक्ष्यों के तहत अपनाई गई सख्त परिभाषा का उपयोग करते हैं, तो यह अनुपात नाटकीय रूप से कम हो जाता है: ग्रामीण आबादी में से केवल 49 प्रतिशत को ही इस मानक के अनुरूप पानी मिलता है। शहरी क्षेत्रों में 73 प्रतिशत आबादी के पास अहाते में पानी सुलभ है और 86 प्रतिशत को जरूरत पड़ने पर यह उपलब्ध होता है।¹³ भारतीय शहरी क्षेत्रों में पेयजल गुणवत्ता के लिए कोई समेकित जानकारी संयुक्त निगरानी कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित सतत विकास लक्ष्यों की आधारभूत रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

32. कई सर्वेक्षणों में स्वच्छता तक पहुंच के संबंध में महत्वपूर्ण विसंगतियां हैं। संयुक्त निगरानी कार्यक्रम 2015 से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या के 44 प्रतिशत (शहरी क्षेत्रों

¹¹ वाटरएड, "शौचालयों की गुणवत्ता और स्थायित्व: स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण" (2017) के अंतर्गत प्रौद्योगिकियों का त्वरित आकलन।

¹² भारत सरकार, प्रेस विज्ञप्ति (10 नवम्बर 2017)।

¹³ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) तथा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन्स फंड (UNICEF), *पेयजल, स्वच्छता और सफाई पर प्रगति: 2017 के अपडेट एवं एसडीजी बेसलाइन*।

में 65 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 34 प्रतिशत) की न्यूनतम आधारभूत सेवाओं तक पहुंच है। सरकार के अनुसार, मई 2018 के दौरान ग्रामीण भारत के 84 प्रतिशत की बेहतर शौचालय सुविधाओं तक पहुंच थी। एक आंकड़ा (जो संयुक्त निगरानी कार्यक्रम की तुलना में 50 प्रतिशत अंक अधिक था) यह दर्शाता है कि 16 प्रतिशत आबादी इसमें शामिल नहीं है। स्वच्छता को ध्यान में रखना चाहिए, न केवल व्यक्तिगत पहुंच को, बल्कि शौचालय का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या, सुविधाओं की गुणवत्ता, मलयुक्त कीचड़ और सीवेज का उचित प्रबंधन और मैला पानी का सुरक्षित परिवहन और निपटान का भी ध्यान रखना चाहिए।

33. मानवाधिकार के नजरिए से, शौचालय में मलमूत्र और अपशिष्ट जल की व्यवस्था और निपटान या पुनःउपयोग शामिल है। इस तरह की व्यापक समझ वारंटी देती है कि स्वच्छता न केवल एक लैटरिन या टॉयलेट का उपयोग करने का व्यक्तिगत अधिकार है बल्कि यह अन्य लोगों का भी मानव अधिकार है, जो अपशिष्ट की उचित व्यवस्था या उसका सही निपटारा नहीं होने पर नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं (देखें A/68/264 देखें)। यह "सुरक्षित रूप से प्रबंधित सेवाओं" की अवधारणा में झलकता है, जो मैले पानी के बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता को भी इंगित करती है, जो सामान्यतः भारत के खुले नालों में बहता है। इस मानक को पूरा करने के लिए भारत को भी शौचालयों में संग्रहित मलमूत्र के लिए एक प्रभावी मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन प्रणाली लागू करने और आबादी के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा अपशिष्ट ट्रीटमेंट में भारी वृद्धि हासिल करने की आवश्यकता होगी, जो ज्यादातर शहरों में है। संयुक्त निगरानी कार्यक्रम में बताया गया है कि 2015 में वर्तमान ट्रीटमेंट प्रणाली में शहरी आबादी के केवल 9 प्रतिशत को ही शामिल किया गया है।

34. सरकार ने राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2017-18 का हवाला देते हुए, एक थर्ड पार्टी द्वारा किए गए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण में कहा है कि गांवों में 70 प्रतिशत से अधिक ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करने का सिस्टम था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में शुरू की गई अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों में विशेष रूप से ओडीएफ-प्लस पहल, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और रसोई एवं वाशिंग गतिविधियों से मैले पानी का प्रबंधन शामिल है। शहरों में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन में सीवेज सिस्टम अपशिष्ट जल ट्रीटमेंट संयंत्रों और शहरों में मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन से संबंधित उपाय शामिल हैं। प्रतिवेदक ने मलमूत्र, मैले पानी और अपशिष्ट जल के पर्याप्त निपटान और ट्रीटमेंट के महत्व को दोहराया है और कहा है कि वे खासकर घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख खतरा हैं।

C. वहनीयता

35. जल और स्वच्छता सुविधाओं तक सभी की पहुंच वहनीय होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उन बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत अन्य सेवाओं हेतु लोगों की भुगतान करने की क्षमता तक सीमित नहीं होनी चाहिए, जो अंततः आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के तहत अन्य अधिकारों की प्राप्ति में बाधा हो सकती है। इसके अलावा, विशेष प्रतिवेदक समझता है कि सतत विकास उद्देश्यों एवं उनके संकेतकों के लक्ष्य 6.1 एवं 6.2 के संदर्भ में वहनीयता को "सुरक्षित रूप से प्रबंधित सेवाओं" की परिभाषा के एक अभिन्न अंग के रूप में माना जाना चाहिए।¹⁴

36. सामान्य रूप से, भारत में औपचारिक सिस्टम द्वारा शहरी क्षेत्रों में पाइप सिस्टम सहित उपलब्ध कराई गई जल सेवाओं तक पहुंच अपेक्षाकृत सस्ती है। हालांकि, विशेष प्रतिवेदक कई स्थितियों में साक्षी था जहां व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को उन अनौपचारिक प्रदाताओं पर भरोसा करने को मजबूर किया गया जो उस कीमत पर पानी बेचते हैं जो औपचारिक प्रावधान की तुलना में बहुत अधिक है। दिल्ली में एक रीसेटलमेंट जगह पर रह रहे निवासी, जो दिल्ली जल बोर्ड पानी की टंकी से पानी एकत्रित नहीं कर पाए थे उन्हें "वॉटर एटीएम" पर निर्भर रहना पड़ा। इसका मतलब यह

¹⁴ इस संबंध में, विशेष प्रतिवेदक के संयुक्त निगरानी कार्यक्रम को संबोधित करने वाले खुले पत्र को भी देखें। जोकि www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/OpenLetter_WHO_UNICEF_WASH.pdf पर उपलब्ध है।

है कि उन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ा था कि उनके पास स्वीकार्य गुणवत्ता का पानी था। कोलकाता में, अनौपचारिक विक्रेताओं ने सार्वजनिक नल के माध्यम से निःशुल्क रूप से पानी प्राप्त किया और मलिन बस्तियों के निवासियों को बेचा (20 लीटर पानी के लिए 20 भारतीय रुपए)। कउला बंदर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अनौपचारिक सैटलमेंट में जो एक अत्यंत जटिल और असुरक्षित नेटवर्क है, जहां कि अवैध रूप से नगर निगम के पानी का नेटवर्क एक तथाकथित जल माफिया द्वारा गैरकानूनी रूप से संचालित है जो "कानूनी शहर" में रहने वाले उपभोक्ताओं से इसके लिए 10 गुना अधिक भुगतान लेते हैं। हालांकि, नगर निगम और राज्य के अधिकारी ऐसा होने से इनकार करते हैं। विशेष प्रतिवेदक ने पानी का प्रमुख वेब देखा, जिसका "फ्लाइंग पाइप" के रूप में उल्लेख किया गया है, जिसको कचरे के अपार ढेर से गुजरकर और मैदान भर में स्नैकिंग करके, 7000 आवासों के अनौपचारिक निपटान को बीच हवा में निलंबित कर दिया गया। विशेष प्रतिवेदक ने औपचारिक और अनौपचारिक सेवा प्रदाताओं दोनों ही के उचित विनियमन की जरूरत को दोहराया।

D. गुणवत्ता एवं सुरक्षा

37. मानव अधिकार ढांचे की आवश्यकता है ताकि पानी सुरक्षित रहे अर्थात् उसे एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए खतरा बनाने वाले सूक्ष्मजीवों, रासायनिक पदार्थों और रेडियोलॉजिकल खतरों से मुक्त किया जाना चाहिए। विशेष प्रतिवेदक ने सरकार के "4 वर्षों में ग्रामीण पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय उप-मिशन" को नोट किया।¹⁵ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने राज्यों में जिला और उपखंड स्तर पर जल-परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने और उनको मजबूत करने में सहायता प्रदान की है। दिसंबर 2016 तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 27 राज्य-स्तरीय, 729 जिला-स्तरीय, 279 ब्लॉक-स्तरीय, 1,117 उपखंड स्तरीय और 88 मोबाइल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई थी।¹⁶ मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशानिर्देशों का एक सेट भी जारी किया गया है, जिसमें स्वच्छता निरीक्षण और जल स्रोतों के विसंक्रमण सहित विशेष रूप से जापानी इन्सेफेलाइटिस और एक्यूट इन्सेफेलाइटिस से प्रभावित जिलों में सुरक्षित पेयजल की गारंटी देने के लिए गतिविधियां शुरू की गई हैं।¹⁷

38. सरकार के सभी स्तरों पर प्रासंगिक निकायों को पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी और सर्वेक्षण के लिए तथा रासायनिक एवं सूक्ष्मजीवविज्ञानी संदूषण को हटाने के लिए उचित प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। भूमिगतजल का नियमित निरीक्षण जल संसाधन के लिए उत्तरदायी मंत्रालय के केंद्रीय भूमि जल बोर्ड एवं जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की स्थापना के बाद से अब तक लगभग 500,000 केमिकल किट एवं 11.9 मिलियन जीवाणुत्वसंबंधी शीशियों की खरीद या आपूर्ति की जा चुकी है। लगभग 4.5 मिलियन ग्रामीण पेयजल स्रोतों पर इन किटों का उपयोग कर परीक्षण किया गया और विभिन्न राज्यों में करीब 3.5 मिलियन लोगों को पानी की गुणवत्ता परीक्षणों के लिए प्रशिक्षित किया गया है।¹⁸

39. हालांकि, इन सराहनीय उपायों के बावजूद, विशेष प्रतिवेदक ने यह नोट किया कि पेयजल की गुणवत्ता अभी भी चिंता का विषय है। 2011 में भारत में, 130.6 मिलियन लोग जल गुणवत्ता वाले उन क्षेत्रों में रहते थे जो असुरक्षित थे, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुरूप नहीं, मानक केवल विशेष रूप से पेयजल के लिए थे (IS 10500:2012)।¹⁹

¹⁵ भारत सरकार, प्रेस विज्ञप्ति (10 नवंबर, 2017)।

¹⁶ भारत सरकार, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, *वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017*

¹⁷ Ibid.

¹⁸ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पर सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

¹⁹ टिएन शिओ एवं अन्य, "3 मानचित्र भारत के बढ़ते हुए पेयजल के जोखिमों की व्याख्या करते हैं" (विश्व संसाधन संस्थान, 2017), जोकि www.wri.org/blog/2015/02/3-maps-explain-india%E2%80%99s-growing-water-risks पर उपलब्ध है।

40. सतही जल और भूजल गंभीर प्रदूषण से प्रभावित होते हैं जिनमें औद्योगिक साव, सीवेज और मलमूत्र एवं अपशिष्ट डंपिंग/ लीचिंग, गड्डे भरना, भूमिगत गैस टैंक तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग से प्रदूषण होता है। भूजल अक्सर रासायनिक घटकों जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट और आयरन एं अन्य भारी धातुओं से प्रदूषित होता है।

41. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भूजल में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित सीमा से अधिक रासायनिक घटकों के स्तर को देखा गया है: 20 राज्यों में 276 जिलों में फ्लोराइड का स्तर सीमा पार कर गया और 10 राज्यों के 86 जिलों में आर्सेनिक स्तर सीमा पार कर गया। 21 राज्यों के कुल 387 जिले और 24 राज्यों के 297 जिले क्रमशः नाइट्रेट और आयरन के उच्च स्तर से प्रदूषित हैं।²⁰ भारी धातु जैसे सीसा, क्रोमियम और कैडमियम को भी भूजल में अपना रास्ता मिल गया है, 15 राज्यों के 113 जिले कम से एक भारी धातु से प्रदूषित हैं। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, पश्चिम बंगाल में भूजल का 38 प्रतिशत भाग आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रदूषित है। इसका प्रभाव गंभीर है क्योंकि राज्य में लगभग 84 प्रतिशत ग्रामीण आबादी पेयजल के लिए भूजल स्रोतों पर निर्भर करती है।²¹ विशेष प्रतिवेदक ने यह नोट किया कि राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन के माध्यम से, सरकार का 2021 तक आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण को खत्म करने का लक्ष्य है।

42. यद्यपि केंद्र और राज्य सरकारें इस रासायनिक संदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों को अपना रही हैं लेकिन उन उपायों को पूरी तरह से प्रभावी नहीं किया गया है और समस्या अब भी चिंताजनक बनी हुई है जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, विशेष प्रतिवेदक ने बांग्लादेश सीमा के निकट गोबिंदापुर गांव में रहने वाले एक व्यक्ति से मुलाकात की, जो क्रोनिक अर्सेनिकोसिस से पीड़ित था और जिससे उसकी त्वचा के विभिन्न हिस्सों पर इस बीमारी का प्रभाव दिखा। उनके भाई का निधन आर्सेनिक संक्रमण के कारण हुआ था और उनके परिवार के सदस्यों को भी इसी तरह के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों का सामना करना पड़ा।

43. पानी की गुणवत्ता से संबंधित एक अन्य प्रमुख मुद्दा मलयुक्त संदूषण है। देश में सतही पानी की सामान्य स्थिति पर्याप्त स्वच्छता सेवाओं और अपशिष्ट जल उपचार में कमी की स्थितियों को दर्शाती है, जो खपत किए जाने वाले पानी की सूक्ष्मजीवसंबंधी गुणवत्ता के लिए गंभीर खतरों को प्रकट करती है। संयुक्त निगरानी कार्यक्रम में बताया गया कि 2015 में ग्रामीण आबादी द्वारा की जाने वाली पानी की खपत एक तिहाई से अधिक संदूषित थी। अन्य अध्ययन भारत के विभिन्न भागों में सूक्ष्मजीवसंबंधी पेयजल की संदिग्ध गुणवत्ता दिखाते हैं।²² इसके अलावा यह भी नोट किया गया है कि कई घरों में खपत से पहले पानी का संसाधित नहीं किया जाता। हाल के वर्षों में खुले में शौच की प्रथा में आई कमी इस तस्वीर को बदल सकती है, लेकिन पेयजल की गुणवत्ता में सुधार पर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रभाव का अभी भी आकलन किए जाने की जरूरत है।

44. जल की गुणवत्ता और स्वच्छता घनिष्ठ रूप से जनता द्वारा उपयोग करने की जानकारी तक पहुंच से संबंधित है। भारत के पास एक सुदृढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली और डैशबोर्ड है, जो उदाहरण के लिए; ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है।²³ विशेष प्रतिवेदक ने यह नोट किया है कि उस जानकारी की प्रस्तुति तकनीकी विशेषज्ञों पर लक्षित है, जनता को बड़े पैमाने पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं।

²⁰ केंद्रीय भूजल बोर्ड। <http://cgwb.gov.in/Documents/Contaminated%20Areas.pdf>. को देखें।

²¹ अनामिका श्रीवास्तव और अन्य, "चकदाह ब्लॉक, पश्चिम बंगाल, भारत के उथले भूजल में आर्सेनिक संदूषण और कृषि मिट्टी", *फ्रंटियर इन इनवायरमेंटल साइंस*, वॉल्यूम-2 (नवंबर 2014)।

²² भारत में मल संदूषण पर 60 अध्ययनों की एक व्यवस्थित समीक्षा से पता चला कि केवल 6 में, सभी नमूनों ने संदूषण की अनुपस्थिति दिखाई है। रॉबर्ट बैन और अन्य, "कम और मध्यम आय वाले देशों में पेयजल में मल संदूषण: एक व्यवस्थित समीक्षा और मेटा-विश्लेषण", *पीएलओएस मेडिसिन वॉल्यूम-11*, नं. 5 को देखें।

²³ <http://indiawater.gov.in/IMISReports/nrdwpmmain.aspx>. को देखें।

45. उपयोग करने के लिए शौचालय सुविधाएं स्वच्छता की दृष्टि से सुरक्षित होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि आधारभूत संरचना मानव मलमूत्र की मानव, पशु और कीट के संपर्क में आने से प्रभावी रूप से रोकथाम करेगी; हाथ धोने और माहवारी स्वच्छता के लिए सुरक्षित पानी का उपयोग सुनिश्चित करना होगा; इसे दिव्यांग और बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया किया गया हो और नियमित रूप से साफ एवं व्यवस्थित किया जाए। विशेष प्रतिवेदक ने देखा कि गुणवत्ता और सुरक्षा के मामले में भारत में ऐसी सुविधाएं चरमरा सकती हैं, ऐसे मामलों में जहां सामुदायिक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है, शौचालय का उपयोग करने के लिए लोग कतारबद्ध होते हैं और मलमूत्र युक्त गड्ढे में गिर कर मर जाते हैं।

E. स्वीकार्यता

46. शौचालय सुविधाएं और सेवाएं सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होनी चाहिए (A/HRC/12/24, पैरा 80 देखें)। हालांकि, कौन से शौचालय समाधान स्वीकार्य हैं, इसके बारे में अलग-अलग दृष्टिकोण होते हैं, जैसे उपयोग के लिए डिजाइन, स्थापना और परिस्थिति के संबंध में सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

47. सरकारी अधिकारियों, समुदाय के प्रतिनिधियों और निवासियों के साथ बातचीत करने के बाद विशेष प्रतिवेदक को यह स्पष्ट हो गया कि खुले में शौच करना एक बहुत ही पुराना व्यक्तिगत और सामाजिक चलन है और लोगों को ऐसा चलन बंद करने और विशेष प्रकार के शौचालय का उपयोग करने के लिए समझाना काफी मुश्किल हो सकता है। कई राज्यों में, उनके समुदायों में, विशेष रूप से बुजुर्गों के बीच व्यवहार में बदलाव लाना एक चुनौती बताई गई। भारत में बड़ी सांस्कृतिक और जातीय विविधता एक विचारणीय विषय है: विशेष प्रतिवेदक ने समुदाय के प्रतिनिधियों और निवासियों से सुना कि स्वच्छ भारत मिशन द्वारा अपनाए गए मानक डिजाइन वाले - पॉर-प्लश ट्विन पिट टॉयलेट्स - जरूरतों पर खरे नहीं उतरते, या सभी आबादी की संस्कृति के साथ फिट नहीं बैठते हैं। इसी समय के दौरान, वह गांवों में कई व्यक्तियों से मिले जिन्होंने उत्साहपूर्वक एक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय होने के लाभ की अपनी संतुष्टि व्यक्त की। हालांकि, सरकारी अधिकारियों सहित कई व्यक्तियों ने व्यवहार में बदलाव इतनी कम समय अवधि में प्राप्त किया जा सकता और जो हाल ही में शौचालय का उपयोग करने में "परिवर्तित" हुए हैं उन सभी लोगों में यह लंबे समय तक बरकरार रहेगा, इसपर संदेह व्यक्त किया।

48. शौचालय सुविधाएं ट्रांसजेंडर और जेंडर गैर-पुष्टिगत सभी व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य होनी चाहिए (A/HRC/33/49, पैरा 9 देखें)। 2014 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं-निर्धारित लिंग का निर्णय करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार की पुष्टि की और सरकार को निर्देश दिया कि वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समानता और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट कदम उठाएं, जिनमें उन्हें अलग से सार्वजनिक शौचालय एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उचित उपाय किए जाएं।²⁴ इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में 2016 में जारी किए गए लिंग पर दिशानिर्देश विशेष रूप से यह निर्धारित करते हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य उस लिंग के साथ शौचालय का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिससे उनकी पहचान है। फिर भी, मणिपुर राज्य में विशेष प्रतिवेदक ने सुना कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अभी भी सार्वजनिक शौचालयों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वे अक्सर उत्पीड़न और तिरस्कार का सामना करते हैं।

F. स्थिरता

49. मानव अधिकारों के नजरिए से स्थिरता को समझना वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल और स्वच्छता चुनौतियों के स्थाई समाधान प्राप्त करने में बहुत योगदान देता है

²⁴ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारतीय संघ एवं अन्य, की रिट पेटिशन (सिविल) नं. 2012 का 400, 15 अप्रैल 2014 का निर्णय।

(A/HRC/24/44, पैरा 85 देखें)। सेवाओं को स्थिर रखने के लिए, वे निरंतर और अनुमानित आधार पर बिना भेदभाव के सभी के लिए उपलब्ध और पहुंचयोग्य होनी चाहिए (ibid., पैरा 20)। "स्थायी लाभकारी बदलाव" होने चाहिए, जो गुणवत्ता सेवाओं और सतत व्यवहार परिवर्तन या मानवाधिकार की दृष्टि से, सभी के लिए जल और स्वच्छता के मानव अधिकारों को पूरी तरह साकार करने की दिशा में प्रगतिशील बोध से होता है। एक बार सेवाओं और सुविधाओं में सुधार हो जाए, तो उस सकारात्मक परिवर्तन को बनाए रखा जाना चाहिए और देरी या प्रतिगमन से बचना चाहिए।

50. सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि "स्थिरता [स्वच्छ भारत मिशन] की कसौटी में से एक है। वहां सतत [सूचना, शिक्षा और संचार] पोस्ट ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) और ओडीएफ पुष्टिगत गांवों के स्थायी सत्यापन सहित एक विस्तृत स्थिरता प्रोटोकॉल है।" यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ने "स्रोत और प्रणाली स्थिरता के माध्यम से जल सुरक्षा के लिए 10% आवंटन" निर्धारित किया है।²⁵

51. स्वच्छ भारत मिशन में सूचना, शिक्षा और संचार पर एक स्पष्ट घटक का समावेश है। केंद्र सरकार स्पष्ट रूप से इस तरह की गतिविधियों के लिए अपेक्षित बजट का आवंटन कर रही है; हालांकि, सभी राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं। विशेष प्रतिवेदक ने अनेक सिविल सोसायटी संगठनों तथा सूचना, शिक्षा और संचार के प्रमोटरों से सुना है कि कार्यक्रम के इस बुनियादी पहलू के लिए अपर्याप्त वित्तीय संसाधन या अपर्याप्त पद्धति कभी-कभी वांछित परिणामों जैसे शौचालय और खुले शौच के उन्मूलन के स्थायी और सुरक्षित उपयोग की उपलब्धि को रोक सकती है।

52. शौचालयों के सतत और सुरक्षित उपयोग के आकलन के निष्कर्ष, विशेष रूप से जो स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से कार्यान्वित हुए, वे व्यापक रूप से बदलते हैं और कार्यप्रणाली पर निर्भर करते हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा 2016 और 2017 में किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार, जिसमें 140,000 परिवारों को शामिल किया गया था जिनमें निर्मित किए गए लगभग 91 प्रतिशत शौचालयों का उपयोग किया जा रहा था। वाटरऐड द्वारा एक आकलन किया गया जिसमें एक छोटे नमूने (1024 परिवार) पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें कार्यक्रम के खिलाफ पूर्वाग्रह का कोई प्रमाण नहीं था; फिर भी एक अलग परिदृश्य का सुझाव दिया गया था, जिसमें प्रकाश डाला गया था कि यदि बुनियादी ढांचा को टिकाऊ बनाने के प्रयास जारी नहीं रखे गए तो उपयोग करने में गिरावट जल्द ही शुरू हो सकती है। सर्वेक्षण के अनुसार, "केवल 33 प्रतिशत निर्मित शौचालयों को स्थायी रूप से सुरक्षित (लंबे समय तक संदूषण के जोखिम को दूर रखना) माना गया था; 35 प्रतिशत सुरक्षित थे, लेकिन उन्हें लंबी अवधि तक सुरक्षित रखने के लिए प्रमुख सुधार करने की आवश्यकता होगी; 31 प्रतिशत असुरक्षित थे, और तत्काल स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा कर रहे थे।"²⁶ दरअसल विशेष प्रतिवेदक ने देखा कि कई शौचालय लावारिस छोड़ दिए गए हैं या उनकी खराब देखरेख हो रही है। शौचालयों में दरवाजे तो हैं पर ताले नहीं हैं, जो उपयोगकर्ताओं की निजता पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डालते हैं। इसके विपरीत, विशेष प्रतिवेदक ने कई मामलों में यह भी देखा और सुना कि कई सार्वजनिक स्थानों पर ठीक से काम कर रहे शौचालय मौजूद हैं, पर उन्हें ताला लगाकर बंद कर दिया गया है।

IV. कोई पीछे न रह जाए

53. सतत विकास लक्ष्य, मानवाधिकारों के प्रमुख सिद्धांत तथा विशेष रूप से पानी और शौचालय के लिए उपयोग के संबंध में सरकार के "कोई पीछे न रह जाए" आह्वान के साथ गूंजता है। लक्ष्य 6.1 और 6.2 को सेवाओं के लिए समान पहुंच की आवश्यकता है तथा महिलाओं और लड़कियों एवं जो संवेदनशील स्थितियों में हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 2030 तक लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी वचनबद्धता को बनाए रखने हेतु सरकार को लक्ष्य 6.1 और 6.2 की प्रगति की निगरानी करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, देश के मानव अधिकारों के दायित्वों को कायम

²⁵ भारत सरकार, प्रेस विज्ञप्ति (10 नवंबर, 2017)।

²⁶ वाटरऐड, "शौचालय की गुणवत्ता और स्थिरता", पेज 3।

रखने के लिए, जल और स्वच्छता के मानव अधिकारों की मानक सामग्री और इन सेवाओं के उपयोग में असमानता और गैर-भेदभाव पर निगरानी के तरीके विकसित करने चाहिए। विशेष प्रतिवेदक, जल एवं स्वच्छता नीतियों में अगले कदमों पर राष्ट्रीय सामंजस्य को अपनाने के महत्व पर जोर देता है, ताकि कोई भी पीछे न रह जाए।

54. "कोई पीछे न रह जाए" संकल्प उन लोगों तक पहुंचने पर पूरी होगा, जो पीछे छूट गए हैं। जबकि भारत में आबादी के एक बड़े हिस्से की जल और स्वच्छता तक पहुंच है, पर कमजोर परिस्थितियों में कुछ समूहों को अभी भी पीछे छोड़ा जा रहा है या तो सेवाओं के लिए उपयोग की कमी के कारण या सेवाओं के निचले स्तर के कारण जहां तक उनकी पहुंच है। इनमें दलित ("स्पृश्यता समुदाय"), जनजातियां/आदिवासी (मुश्किल पहुंच वाले क्षेत्र के सजातीय समूह), खानाबदोश जनजातियां, विमुक्त जातियां (जनजातियां जो आपराधिक समझी जाती रहीं और स्वतंत्रता के बाद आपराधिक-मुक्त या "विमुक्त" सूचीबद्ध की गईं), मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय, दिव्यांग व्यक्ति, लेज़बीयन, गे, ट्रांसजेंडर और इन्टरसेक्स जनसंख्या, सेक्स वर्कर महिलाएं, फिशर समुदाय, शहरी गरीब (झुग्गीवासी), अनाथ बच्चे, बेघर लोग, प्रवासी आबादी एवं अन्य शामिल हैं।²⁷ किसी को भी पीछे न छोड़ना समानता और गैर-भेदभाव के व्यापक सिद्धांतों से निकटता से जुड़ा हुआ है। गैर-भेदभाव राज्य का एक तात्कालिक और निष्पक्ष दायित्व है; भेदभाव को औपचारिक और जरूरी दोनों ही रूप से समाप्त किया जाना चाहिए,²⁸ और इसे प्रगतिशील बोध में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

55. सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम विशेष रूप से "असमर्थ, ट्रांसजेंडर, गरीब और पिछड़े वर्गों पर केंद्रित है और यह कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को फंड देने के लिए प्राथमिकता देता है।²⁹ स्वच्छ भारत मिशन के मार्गदर्शी घटक ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों सहित समाज के सीमांत वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों, विधवा और वृद्धावस्था पेशनभोगी, घर वाले भूमिहीन मजदूर, छोटे किसानों, सीमांत किसानों और महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों को प्रोत्साहन दिया जाए। राज्यों को ग्रामीण घटक के तहत विशेष मामलों के लिए राशि बढ़ाने हेतु लचीलापन भी प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए असम ने बाढ़ प्रभावित और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में परिवारों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया है। कर्नाटक में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 3000 भारतीय रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। झारखण्ड में, दिव्यांग व्यक्तियों को शौचालयों निर्माण के लिए 17000 भारतीय रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए गए।

56. विशेष प्रतिवेदक एक विशिष्ट राष्ट्रीय नीति के तहत संवेदनशील स्थितियों में कुछ समूहों के लिए संसाधनों के आवंटन को नोट करते हुए, इस बात पर जोर देता है कि राज्य जब तक भेदभाव और अन्य मानव अधिकारों के उल्लंघन के मूल कारण को कलंक नहीं समझते, तब तक जल और स्वच्छता के मानवाधिकारों को पूरी तरह साकार नहीं किया जा सकता (A/HRC/21/42 देखें)। मूल कारणों से निपटने के लिए जल और स्वच्छता के उपयोग की कमी की घटनाओं का पता लगाना आवश्यक है, जहां विशेष समूहों में लोगों को समाज के बाकी लोगों की तुलना में व्यवस्थित रूप से उपेक्षित किया गया है। राज्य उन स्थितियों का पता लगाने के लिए बाध्य है, जहां लोगों को जल और स्वच्छता सुविधाओं के उपयोग से वंचित रखा गया है, क्योंकि वे सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं; उसके पास कोई विकल्प नहीं है या उनकी शारीरिक और मानसिक शुद्धता के लिए उनको हिंसा और भय के साथ डराया जाता है। दायित्व का विस्तार अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार का निषेध और निजता के अधिकार के संरक्षण तक फैला हुआ है।

²⁷ एकता एवं स्वयंसेवी कार्यवाई हेतु युवा, "सतत विकास के लक्ष्य: एजेंडा 2030 'कोई पीछे न रह जाए'"(2016), पेज 7

²⁸ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों में गैर-भेदभाव पर सामान्य टिप्पणी संख्या 20(2009), पैरा 7-8

²⁹ भारत सरकार, प्रेस विज्ञप्ति (10 नवंबर, 2017)।

57. विशेष प्रतिवेदक को यात्रा के निष्कर्षों से पता चला, कि कई निर्धारकों के पूर्वानुमान के बढ़ने की संभावना है कि कहां या क्यों लोगों द्वारा विकलांगता, लिंग, जाति, जनजाति, गरीबी, रहने की जगह (विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, औपचारिक बनाम अनौपचारिक बस्तियों में निवास) अन्य लोगों के अलावा, अपर्याप्त जल और स्वच्छता सेवाओं के लिए कम गुणवत्ता का उपयोग किया जाता है। ऐसे तरीके अलग-अलग हैं जिनमें ये कारक किसी की पहुंच पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कारकों में से किसी एक के संयोजन से कई गुणा प्रभाव होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, दिव्यांग व्यक्ति व्यापक रूप से पहुंचयोग्य स्वच्छता बुनियादी सुविधाओं की कमी से पीड़ित है, लेकिन दिव्यांग महिलाएं और लड़कियां और अधिक पीड़ित हो सकती हैं एवं अभी इसमें महावारी स्वच्छता प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक परिस्थितियों और सामग्री की कमी को भी जोड़ा जा सकता है।

58. जल और स्वच्छता तक पहुंच को बढ़ाने के लिए समय लक्ष्य होना चाहिए, इसलिए असमानता कम करने के लक्ष्य को पूरित किया जाना चाहिए। पहले कदम के रूप में, राज्य को कमजोर और सीमांत आबादी की पहचान करने के साथ ही साथ भेदभाव के स्वरूप और उनके अंतर्निहित संरचनात्मक कारणों का पता करने की आवश्यकता है। विशेष प्रतिवेदक ने धन के स्तर, प्रवासी स्थिति, जातीय समूह और भेदभाव के अन्य आधारों द्वारा एकत्रित डेटा के संग्रहण और विश्लेषण करने के महत्व पर प्रकाश डाला है, क्योंकि ऐसी जानकारी का राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण पर प्रभाव हो सकता है, यह सुनिश्चित करने के संबंध में कि संवेदनशील स्थितियों में व्यक्तियों और समुदायों को प्राथमिकता दी जाए और उनकी निगरानी हो। इस सेक्शन में, विशेष प्रतिवेदक ने संवेदनशील परिस्थितियों में कुछ समूहों द्वारा असमानताओं का सामना करने का एक स्नैपशॉट प्रस्तुत किया, जिसने यात्रा के दौरान उसका ध्यान आकर्षित किया, जो कि सरकार के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में कमजोर और हाशिए पर मौजूद जनसंख्या की पहचान करे।

A. अनुसूचित जाति

59. 2011 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार, दलितों के लिए ("अनुसूचित जातियों" के रूप में संदर्भित) 201 मिलियन से अधिक लोगों को शामिल किया गया था। इस आंकड़े में उन दलितों को शामिल नहीं किया गया, जो गैर-हिंदू धार्मिक समुदायों के भीतर धर्मांतरित किए गए या पैदा हुए तथा स्थापित हुए जैसे कि दलित मुस्लिम और ईसाई समुदाय; यह अनाधिकृत आंकड़ों का अनुमान है, जबकि भारत में दलितों की वास्तविक संख्या बहुत अधिक है (A/HRC/31/56, पैरा 33 देखें)।

60. दलित, जाति आधारित भेदभाव के शिकार लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी जल और स्वच्छता सहित संसाधनों और सेवाओं तक सीमित या असमान पहुंच है और अधिकतर वे गरीबी से प्रभावित होते हैं। भारत में 20 प्रतिशत से अधिक दलितों की अभी भी सुरक्षित पेयजल तक पहुंच नहीं है और लगभग 50 प्रतिशत दलित गांव के जल स्रोतों तक पहुंच से वंचित हैं।³⁰ यात्रा के दौरान, विशेष प्रतिवेदक ने दलितों से अनेक घटनाओं के बारे में सुना, जहां वे साझा कुओं या सार्वजनिक नल से पानी लेने में असमर्थ हैं या उनपर एक आम पानी के नल से पानी पीने के लिए या छूने के लिए जुर्माना लगाया गया। कुछ दलितों को पीटा और मार डाला गया। दलित महिलाओं और लड़कियों से शारीरिक उत्पीड़न और हिंसा की गई है। एक घटना में एक गर्भवती दलित महिला पर हमला किया गया था, जब वह खुले में पाखाना कर रही थी। अनेक घटनाओं में खुले में पाखाना करके लौटते समय दलित महिलाओं और लड़कियों का अपहरण और बलात्कार किया गया। इसके अलावा, दलित छात्रों को पानी के बर्तन से सीधे पानी पीने की अनुमति नहीं जाती और अन्य जातियों के छात्रों से अनुरोध करने के लिए मजबूर किया जाता है कि वे एक दूरी से उनके हाथ पर पानी डालें।

³⁰ भारतीय मानवाधिकारों और संयुक्त राष्ट्र "पेयजल और स्वच्छता अधिकार" पर कार्यकारी समूह, भारत के सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के तृतीय आवर्तन हेतु फैक्टशीट। <http://wghr.org/wp-content/uploads/2017/03/Fact-Sheet-05-Right-to-Water-and-Sanitation.pdf> पर उपलब्ध है।

B. दिव्यांग व्यक्ति

61. 2011 की जनगणना के अनुसार, दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या का 4 प्रतिशत आंकी गई। सिविल सोसाइटी द्वारा स्वतंत्र अध्ययन में पाया गया कि यह आंकड़ा 6 से 7 प्रतिशत - लगभग 70 मिलियन लोगों के करीब है। दिव्यांग व्यक्तियों के समूहों ने विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानों जैसे स्कूलों, परिवहन केंद्रों और पुलिस स्टेशनों में जल और स्वच्छता सेवाओं तक उनकी पहुंच की व्यापक कमी के बारे में चिंता व्यक्त की। विशेष प्रतिवेदक ने इस पर चिंता व्यक्त की है कि घरों में शौचालय बनाने के लिए सरकारी सब्सिडी दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। जबकि, कुछ राज्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शौचालय बनवाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देते हैं, उदाहरण के लिए, अनुकूलित शौचालयों के लिए 12,000 भारतीय रुपए का मानक प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं है। विशेष रूप से जहां व्हीलचेयर का उपयोग किया जाता है वहां विशेष व्यवस्था की आवश्यकता है और दरवाजों की मानक चौड़ाई भी पर्याप्त नहीं है।

C. निवास स्थान

62. भेदभाव के निषिद्ध आधार की सूची आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध के अनुच्छेद 2 (2) "अन्य स्थिति" को संदर्भित करता है, जिसमें निवास के स्थान पर आधारित भेदभाव के निषेध शामिल हैं।³¹ इसके अलावा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की कमेटी यह निर्दिष्ट करती है कि किसी भी घर को अपने आवास या भूमि की स्थिति के आधार पर पानी के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। भारत के संदर्भ में, मलिन बस्तियां और बेघर आबादी के बड़े अनुपात के कारण निवास स्थान पर आधारित भेदभाव की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है।

1. अनौपचारिक बस्तियां, पुनर्स्थापित बस्तियां और बेघर

63. विशेष प्रतिवेदक ने दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता और मुंबई में दौरा किया, और देखा कि अनौपचारिक बस्तियों में पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच विभिन्न मलिन बस्तियों में एक चिंता का विषय थी। मुंबई के मामले में, देश के सबसे अधिक आबादी वाले शहर में, शहर के आधे से अधिक लोग अर्थात् 18 मिलियन निवासियों का घर मलिन बस्तियों में हैं। विशेष प्रतिवेदक ने पाया कि अधिकांश मलिन बस्तियों में पानी और शौचालय के लिए पर्याप्त पहुंच नहीं है।

64. जबकि कुछ व्यक्ति पसंद के रूप में खुले में शौच को चुनते हैं, विशेष प्रतिवेदक ने उन क्षेत्रों का दौरा किया जहां खुले में शौच केवल व्यवहार्य विकल्प बना रहा। यह मलिन बस्तियों और पुनर्वास स्थलों का मामला था, जहां सामुदायिक शौचालय अक्सर दूर या न के बराबर थे। लखनऊ में गैर-अधिसूचित (कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं) मलिन बस्ती विनायकपुरम के सभी झुग्गीवासी खुले में शौच जाते थे। मलिन बस्ती के आसपास घूमने के दौरान विशेष प्रतिवेदक ने कोई चालू सामुदायिक शौचालय नहीं देखा, वहां केवल एक शौचालय था, जो बेकार था और वह केवल दो साल पहले बनाया गया था। दिल्ली में विशेष प्रतिवेदक ने 2010 में 257 एकड़ भूमि पर निर्मित सुनियोजित बसावट स्थल *सावदा घेवरा* का दौरा किया। जबकि *सावदा घेवरा* के निवासियों को दिल्ली जल बोर्ड के पानी के टर्कों से पीने का पानी लाना पड़ता था, उनके परिसर में शौचालय की सुविधा नहीं थी और उन्हें अपने आवासों से दूर स्थित सामुदायिक शौचालयों पर निर्भर रहना पड़ता था।

65. 2014 में, बोम्बे उच्च न्यायालय ने यह कहा कि अवैध झोपड़ियों पर कब्जा करने वाले स्लमवासियों को पानी के उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।³² न्यायालय ने यह भी कहा कि "भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की गारंटी के रूप

³¹ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति की सामान्य टिप्पणी संख्या 20, पैरा. 27-35 देखें।

³² *पैनी हक सैती एवं अन्य बनाम बृहन मुंबई नगर निगम और अन्य*

में भोजन और पानी का अधिकार शामिल है, राज्य एक नागरिक को पानी की आपूर्ति इस आधार पर देने से इनकार नहीं कर सकता है कि वह अवैध रूप से खड़ी की गई किसी संरचना में रह रहा है।³³

66. 2000 के बाद स्थापित बस्तियों की औपचारिक मान्यता न होने के कारण, नगर पालिकाएं अक्सर उनके अवैध होने के डर से ऐसी बस्तियों में पर्याप्त सेवाएं देने से इनकार कर देती हैं। बस्तियों में पानी और सफाई सुविधाओं तक पहुंच की शर्तें बहुत अलग हो सकती हैं और ये काफी हद तक कानूनी मान्यताओं से प्रभावित हो सकती हैं। विशेष प्रतिवेदक ने कुछ अधिसूचित (कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त) बस्तियों का दौरा किया, वहां के निवासियों की पानी का शुल्क देकर एक सप्ताह में कुछ बार पानी उपलब्ध कराने के टैंकरों सहित, सार्वजनिक अधिकरण की कुछ सेवाओं तक पहुंच थी। हालांकि, सार्वजनिक प्रदाताओं द्वारा गैर-अधिसूचित बस्तियों को किसी भी सुविधा से वंचित रखा गया था। जबकि कुछ स्टैंड पोस्ट और बोरहोल्स कुछ गैर-अधिसूचित बस्तियों के भीतर या करीब उपलब्ध थे, पर वे हमेशा सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा नहीं बनाए गए होते हैं। इसके अतिरिक्त, यह निश्चित नहीं था कि क्या पानी की गुणवत्ता पर नजर रखी गई थी और क्या उसमें पेयजल के मानकों को पूरा किया गया था।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या

67. 2017 में प्रकाशित एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां देश के 67.5 प्रतिशत निवासी रहते हैं, पाइप के पानी का उपयोग केवल 31 प्रतिशत जनसंख्या (देश की 1.3 बिलियन जनसंख्या के 270 मिलियन लोग) के लिए उपलब्ध है।³⁴ इसी तरह, शहरी क्षेत्रों में यह जनसंख्या के 69 प्रतिशत तक को उपलब्ध है। ऐसा ही नितांत, 2015 में स्टार्क ग्रामीण बनाम शहरी क्षेत्रों में पानी की पहुंच तक लोगों के अनुपात को क्रमशः 49 प्रतिशत और 73 प्रतिशत में विभाजित करता है।³⁵

68. ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से रहने वाला एक समूह अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 90 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। विशेष प्रतिवेदक ने मुंबई से 40 किलोमीटर दूर बोरिवली जिले के निकट संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में रहने वाले लगभग 12,000 लोगों की अनुसूचित जनजातीय आबादी के एक प्रतिनिधि के साथ मुलाकात की। चूंकि न तो जिला और न ही केंद्र सरकार के अधिकारियों ने उन्हें जल और स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध करवाई थीं। कई वर्षों से जनजाति के सदस्यों के पास खुले में शौच करने के अलावा कोई चारा नहीं था और उस समय पर हमले का जोखिम था, यहां तक की जंगली जानवरों द्वारा मार डाले जाने तक का खतरा भी था। "पानी नहीं, शौचालय भी नहीं", पर इस तरह से प्रतिनिधि ने प्रतिवेदक को अपनी चिंता व्यक्त की।

3. मेगा परियोजनाओं के पास रहने वाले समुदाय

69. ग्रामीण आबादी की पानी तक पहुंच भी बड़ी परियोजनाओं से प्रभावित होती है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पीने, घरेलू कार्यों या आजीविका के लिए इस्तेमाल होने वाले आवश्यक जल के स्रोतों को प्रभावित करती है। मणिपुर में विशेष प्रतिवेदक को बताया गया कि किस तरह बड़े बुनियादी ढांचे (बांध, रेल, सड़कों और औद्योगिक परियोजनाओं) ग्रामीण गांवों के जल स्रोतों को प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से, उसने थौबल बहुउद्देशीय बांध परियोजना के बहाव के दो समुदायों का दौरा किया, जिन्हें पानी की बिगड़ी हुई गुणवत्ता और अनियमित प्रवाह के कारण, अब नदी पर भरोसा नहीं रह गया था, जो कि उनके पेयजल का स्रोत था। पानी के लिए पास के एक गांव के स्रोत का उपयोग के लिए उन्हें भुगतान करना पड़ा। विशेष प्रतिवेदक चिंतित था, क्योंकि घरेलू और व्यक्तिगत उपयोग के लिए पानी आवंटित करने में प्राथमिकता के अभाव के कारण कमजोर स्थितियों में रहने वालों की पेयजल तक पहुंच नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। कुछ गांवों में दौरा करने पर, विशेष

³³ Ibid., पैरा 11.

³⁴ WHO तथा UNICEF, *पेयजल, स्वच्छता और सफाई पर प्रगति*। पेज 65

³⁵ Ibid.

प्रतिवेदक को बताया गया कि स्थानीय अधिकारियों ने केवल आंशिक रूप से घरेलू शौचालयों का निर्माण किया था और जबकि इच्छुक लाभार्थियों ने निर्माण होने की प्रतीक्षा की, उनके पास खुले में शौचालय के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

D. गैर-दस्तावेजीकृत जनसंख्या

70. एक अन्य समूह जो कि किसी भी सरकारी संरक्षण के दायरे से बाहर निकल गया है, भारत में स्थित 51 पूर्व बांग्लादेशी परिवृत्ति और 111 पूर्व भारतीय परिवृत्ति बांग्लादेश में स्थित हैं। 2015 में भारत और बांग्लादेश की सरकारों द्वारा एक भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से 922 लोग पश्चिम बंगाल के कूच बेहार जिला में स्थित दिनहाटा, मेखलिगंज और हल्दीबारी के तीन शिविरों में रह रहे हैं। उन लोगों के पास अपने मकान के भीतर शौचालय नहीं है और वे खुले में शौच करने को मजबूर हैं। सरकार द्वारा खोदे गए कुछ ट्यूबवेल के माध्यम पीने के पानी का उपयोग किया जाता है, उस पानी की गुणवत्ता अपर्याप्त होती है। यह प्रकाश में लाना महत्वपूर्ण है, कि इस विशेष संदर्भ में, भारत का दायित्व जल और स्वच्छता के अधिकार को बनाए रखना है, न केवल भारतीयों के लिए बल्कि उन विदेशियों के लिए भी जो आपके क्षेत्र में रहते हैं और साथ ही उन लोगों के लिए भी जिनके पास उचित पहचान के कागजात नहीं हैं।

V. सिफारिशें

71. उपरोक्त अवलोकनों के संदर्भ में, विशेष प्रतिवेदक ने सिफारिशें की हैं कि भारत सरकार को:

(a) एक विधायी संरचना को अपनाया जाए जो राष्ट्रीय स्तर पर जल और स्वच्छता के मानवाधिकारों को मान्यता देती हो और विशेष रूप से, राज्यों और भारत के संघ राज्यक्षेत्रों में उस विधायी संरचना के सामंजस्य और स्थिरता को सुनिश्चित करे;

(b) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के लिए वैकल्पिक प्रोटोकॉल को प्रमाणित करें;

(c) केंद्रीय, राज्य, स्थानीय और ग्रामीण सरकारों तथा सरकार के विभिन्न स्तरों की भीतर इकाइयों के बीच लंबवत; और क्षैतिज, हर पैमाने पर जल और स्वच्छता क्षेत्र में संस्थागत कलाकारों की भूमिका और जिम्मेदारियां पारदर्शी तरीके से स्पष्ट करें;

(d) उन अधिकारों की सभी मानक सामग्री सहित जल और स्वच्छता के मानवाधिकारों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों के साथ एक स्वतंत्र नियामक तंत्र स्थापित करना;

(e) मानव अधिकार दृष्टिकोण से जल और स्वच्छता पर राष्ट्रीय नीतियों के कार्यान्वयन पर निरंतर निगरानी करे और समग्र रूप से मानवाधिकार संरचना के संयोजन का मजबूती करने के लिए उन नीतियों का पुनःमूल्यांकन करें;

(f) सरकार के सभी स्तरों पर और औपचारिक एवं अनौपचारिक सेवा प्रदाताओं द्वारा सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के मानवाधिकारों के अनुपालन की निगरानी करें;

(g) सभी व्यक्तियों की गरिमा को बनाए रखने के दायित्वों के साथ खुले में शौच मुक्त स्थिति को प्राप्त करने के प्रयासों को दोबारा शुरू करें और अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें;

(h) सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाएं निरंतर उपलब्ध रहें और बंद के मामले में, वैकल्पिक विकल्प सुनिश्चित करें ताकि लोगों को खुले में शौच के लिए मजबूर ना होना पड़े;

- (i) बेघर लोगों, सड़क विक्रेताओं, रिक्शा चालकों और मौसमी प्रवासी श्रमिकों सहित दैनिक लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त और निरंतर जल एवं स्वच्छता सुविधाओं की गारंटी हो;
- (j) उन लोगों की निगरानी के संबंध में जिनके पास स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच नहीं है, शौचालयों के निर्माण की निगरानी करने के प्रयासों और उपायों में संतुलन सुनिश्चित करें;
- (k) पानी के संदूषण से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य खतरों को कम करने के लिए मल कीचड़ प्रबंधन, सुरक्षित परिवहन और मैले पानी के निपटान और अपशिष्ट जल ट्रीटमेंट लागू करने के लिए पहलों को सुदृढ़ करना;
- (l) सुनिश्चित करें कि सभी समूहों के लिए स्वच्छता सुविधाएं स्वीकार्य हैं, विशेष समूहों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, जिनके पास अलग स्वच्छता की आवश्यकता हो सकती है;
- (m) देश में खुले शौचालय को खत्म करने के प्रयास में आक्रामक और अपमानजनक प्रथाओं जैसे कि जबरन, शर्मनाक, हिंसा या दंड की पहचान, निगरानी और रोकथाम के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली बनाए रखना;
- (n) राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत गड़बड़े वाले शौचालयों को खाली करने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए निगरानी प्रणाली स्थापित करना, ताकि मैनुअल सफाई प्रथाओं में बढ़ोतरी के संभावित रुझानों को नियंत्रित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अभ्यास जाति-भेदभावपूर्ण तरीके से नहीं किया गया है;
- (o) पेयजल की गुणवत्ता से संबंधित स्थायी समस्याओं की पहचान करे और जल संदूषण की निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए लागू उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करें;
- (p) उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से जनता के लिए उपलब्ध पेयजल की गुणवत्ता से संबंधित जानकारी बनाकर, जानकारी तक पहुंच को मजबूत करना;
- (q) गैर-नागरिक और बिना उचित पहचान दस्तावेजों सहित कमजोर परिस्थितियों की आबादी की पहचान करें और भेदभाव के पैटर्न और उनके अंतर्निहित संरचनात्मक कारणों की पहचान करें, जो पर्याप्त पेयजल और स्वच्छता सेवाओं के लिए निम्न गुणवत्ता तक पहुंच की संभावना को बढ़ाते हैं;
- (r) धन के स्तर, प्रवासी स्थिति, जातीय समूह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भेदभाव के अन्य आधारों से विविध डेटा, असमानता के पैटर्न की पहचान करें, क्योंकि इस तरह की जानकारी राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण पर असर डाल सकती है;
- (s) अनौपचारिक बस्तियों और पुनर्वासों एवं बेघर लोगों सहित के निवास की जगह और स्थिति पर ध्यान दिए बिना जल और स्वच्छता सेवाओं की बराबर पहुंच प्रदान करें;
- (t) पनबिजली बांधों के निर्माण सहित सभी मेगाप्रोजेक्ट्स के लिए मानव अधिकार प्रभाव आकलन की आवश्यकता बनाएं।